न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
024	12.02.2024	14.03.2024

उनवान

रतन पुत्र भैरू गिरी, जाति गुसाई, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सायर बाई पत्नी भैरू जाति गुसाई, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

कैलाश पत्नी रतनगिर, उम्र वयस्क, जाति गुसाई, निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

पुष्पा पुत्री भैरू गिरी, उम्र वयस्क जाति गुसाई, निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

कैलाश गिरी पुत्र शिवगिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गुलाब देवी पत्नी शम्भु गिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गोपाल गिरी पुत्र शिवगिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

छोटू गिरी पुत्र शिवगिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

नन्दगिरी पुत्र शिवगिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

लक्ष्मण गिरी पुत्र शिवगिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रामगिरी पुत्र शिवगिरी गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

नानू गाडरी पुत्र प्रताप जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रामपाल वैष्णव पुत्र नन्ददास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रामेश्वर वैष्णव पुत्र चुन्नीदास उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बालु बलाई पुत्र महाराम बलाई उम्र वयस्क निवासी भोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रेम देवी खोईवाल पत्नी रमेशचन्द्र खोईवाल उम्र वयस्क निवासी पुरानी धानमण्डी, नेहरू रोड़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सोहन रेगर पुत्र घीसा रेगर, उम्र वयस्क निवासी देवपुरा कांवलास तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य तहसीलदार भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

थतः—अधिवक्ता प्रार्थी ओम प्रकाश शर्मा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र त धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भोली प0ह0 भोली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की न्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 74 की अभिलिखित आराजियात 1546, /2, 1549, 1550/2, 1839/1550, 461, 465, 897 कुल किता 08 कुल रकबा 2.7313 र एवं खाता संख्या 542 की अभिलिखित आराजियात 1533 कुल किता 01 कुल रकबा हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर ख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता यत। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी जियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का कन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात स के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन गढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र त धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Ghad

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ा भोली प0ह0 भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की बन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 74 की अभिलिखित आराजियात 1546, 3/2, 1549, 1550/2, 1839/1550, 461, 465, 897 कुल किता 08 कुल रकबा 2.7313 यर एवं खाता संख्या 542 की अभिलिखित आराजियात 1533 कुल किता 01 कुल रकबा 34 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया । पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस ा में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी लय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को –00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस वश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। लदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में ाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahdd

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा